

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2011

अधिसूचना  
(आयकर)

का.आ. (अ) आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 80 झख की उपधारा (10) के खंड (क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्वारा महाराष्ट्र प्रादेशिक शहर योजना अधिनियम, 1966 (1966 का महा. XXXVII) की धारा 37 की उपधारा (2) के तहत झुग्गी पुनर्विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई तथा दिनांक 26 फरवरी, 2004 को अधिसूचना सं. टी पी एस- 1893/973/सी आर-49/93ए/यूडी-13 द्वारा प्रकाशित योजना को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ एक ऐसी योजना के रूप में अधिसूचित करता है जो इस शर्त के अधीन कि योजना में एतद्वारा अधिसूचित किसी संशोधन का केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पुनः अधिसूचित होना अपेक्षित होगा।

2. यह अधिसूचना पूर्वोक्त योजना के तहत अप्रैल, 2004 के प्रथम दिवस अथवा उसके पश्चात तथा मार्च, 2008 के 31वें दिवस के पूर्व किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर लागू समझी जाएगी जिससे कि धारा 80झख की उपधारा (10) के तहत कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से आगे के लिए ऐसी परियोजनाओं से उद्भूत होने वाली आय पर कटौती की जा सकेगी।

अधि सूचना संख्या - 01/2011

(फा.सं. 178/35/2008-आई टी ए-1)

र. 21/1/11

(रमण चोपड़ा)

निदेशक (आ.क.नि.1)

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रैस,

रिंग रोड मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।